NOTE FOR JUSTI FICATION

परियोजना का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत वि0स0 क्षेत्र जागेश्वर में सत्यों से जिफल्टा—नैड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई 6.00 किमी0)

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग ग्राम **सत्यों, जिफल्टा** से होकर गुजरता है जिनकी आबादी 1016 है। यह मोटर मार्ग जनपद अल्मोड़ा के शहरफाटक मोटर मार्ग के किमी0 18.00 मेरधुरा से सत्यों के पटवारी राजस्व विभाग की चौकी से 100मी0 दूरी पर मार्ग के बिन्दु से प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गांव की महिलाएं पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिये दूर जाती है। मार्ग निर्माण के पश्चात् उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वें अपने घर और बच्चों को अधिक समय दे पाएंगी, जिससे कि बच्चों का लालन—पालन तथा पठन—पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूर हो पाएगी। गांव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के और नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्तपादित फल, सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पाएंगे साथ ही गांव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

यह समरेखन सिविल भूमि (राज्य भूमि) से होकर गुजरता है। अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। समरेखन के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नही पड़ता है।

उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 6.00 किमी है तथा मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर ली गई है। उक्ट मोटर मार्ग के निर्माण में 4.32 है0 सिविल वन भूमि प्रभावित होती है। उक्त प्रयोजनार्थ इस भूमि हेतु न्यूनतम समरेखणों पर विचार किया गया है।

समरेखन 1:— यह समरेखन पटवारी राजस्व विभाग की चौकी से 100मी0 दूरी पर आरम्भ होता है तथा सत्यों से मेगली होते हुए जिफल्टा गांव से लगभग 400मी0 की दूरी पर समाप्त होता है। तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत

समरेखन 2:— यह समरेखन पटवारी राजस्व विभाग की चौकी से 100मी0 दूरी पर आरम्भ होता है तथा यह मार्ग मैगली गांव पर समाप्त होता है। इस समरखेन में 7 एच0पी0 बैण्ड प्रभावित होते हैं। तकनिकी दृष्टि से ग्रेड सही नहीं मिलता है तथा इस समरेखन में जिन ग्रामवासियों की नाप भूमि पड़ती है उस पर उनकी सहमति नहीं है। जिफल्टा—नैड़ी ग्राम सभा नहीं जुड़ पाती है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं0 2 को निरस्त कर समरेखण 01 को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में 4.32 है0 वन भूमि प्रभावित होती है जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 6.00 किमी0 तथा चौड़ाई 9.00 मीटर में ली गई हैं। उक्त भूमि में मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रस्तावित सिविल भूमि (राज्य भूमि) का हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने की कृपा करें।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा.ख.लो.नि.वि अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता प्रा.ख.लो.नि.वि अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता प्रा.ख.लो.नि.वि अल्मोड़ा